(iii) Coke with phosphorous content of 0.05% or below when imported into India for manufacture of pig iron. 25%

(g) According to information obtained fron Chief Controller of Imports & Exports, the details are as under:

| Description | Year | Qty. | Value (Rs. crores) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Coal, Coke & | 1990-91 | 6.20 | 789.37 | Germany, |
| Briquettes etc. | 1991-92 | 5.93 | 1036.41 | Norway, |
| | 1992-93 (April-August) | 3.23 | 681.10 | U.K., Japan, Australia, Indonesia, Poland etc. |

**Deletion of items from the list of Essential Commodities from the Essential Commodities Act, 1955**

*77. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have deleted some items from the list of Essential Commodities after a review of the Essential Commodities Act, 1955; and

(b) if so, the details thereof and reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) Yes, Sir.

(b) The Following eight items notified under the Essential Commodities Act earlier have been deleted:

1. Press Mud.
2. Carbon Black.
3. Polyethylene and Polyethylene moulding Powder.
4. Polystyrene and Polystyrene moulding powder.
5. Organic Heavy Chemicals.
6. Inorganic Heavy Chemicals.
7. Cinema Films (Raw).
8. Soda Ash. '

In view of the changed scenario of production, availability and nature of the aforesaid commodities, the same have been deleted from the list of Essential Commodities with effect from 27th December, 1993.

**विभिन्न यूनियनों को मान्यता प्रदान किया जाना**

*78. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न यूनियनों को मान्यता प्रदान किए जाने का मामला कई वर्षों से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यूनियनों की संख्या की जांच करके उन्हें मान्यता प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड से यूनियनों की संख्या की जांच करने के संबंधमें कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कया कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ). विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों, वेतन बोर्डों आदि में अपना प्रतिनिधित्व रखने के प्रयोजन से केन्द्रीय व्यवसाय संगठनों के साथ सम्बद्ध करवाने के लिए व्यवसाय संघों की सदस्यता का सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया एक समयसाध्य प्रक्रिया है क्योंकि पूरे देश के विभिन्न संघों से संघटन-वार, राज्य-वार, उद्योग-वार (कृषि-सहित) अति लघु ब्यौरे एकत्र किए जाने और सत्यापित किए जाने होते हैं। 21 और 22 अप्रैल, 1990

को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 29वें सत्र में 31-12-89 को गणना तारीख मानकर सामान्य सत्यापन किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, सामान्य सत्यापन के संबंध में 25-1-1991 को, सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित मामलों पर सरकार को अपनी राय देने के लिए मुख्य श्रमायुक्त (के०) की अध्यक्षता में केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की एक स्थायी समिति गठित की गयी थी। स्थायी समिति के निर्णयानुसार 15-4-1992 तक प्राप्त दावों तथा दायर आपत्तियों को जून, 1992 में क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) के पास अग्रेषित किया गया था। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के०) ने सामान्य सत्यापन प्रक्रिया आरम्भ की है। सत्यापन की प्रगति को समय-समय पर स्थायी समिति की बैठकों में मॉनिटर किया जाता है। समिति की सातवीं बैठक 14-1-1994 को आयोजित की गयी थी।

कोलया उद्योग में कार्यरत संघों को भी इस सामान्य सत्यापन में शामिल किया जायेगा।

**भविष्य निधि अंशदान का जमा न किया जाना**

*79. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ पीप अफजल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार कुल कितनी कम्पनियों के विरुद्ध भविष्य निधि की राशि जमा न करवाने के लिए कार्रवाई की गई है और उनके नाम क्या हैं?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा):** 31-3-93 की स्थिति के अनुसार 10,900 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने भविष्य निधि अंशदानों को जमा नहीं कराया है। भविष्य निधि अंशदानों को जमा न कराने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानून में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की गई है। चूंकि ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या बहुत अधिक है अतः उनके नाम यहां नहीं दिए जा रहे हैं।

**Agreement between India and China in the field of Coal Sector**

*80. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether India and China have jointly set up a working group to increase the scope of bilateral cooperation in coal mining;

(b) if so, the terms of reference of the agreement;

(c) whether coal production in the country will be boosted as a result of the agreement; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b), Yes, Sir. During the bilateral discussions held in January, 1994, both sides agreed to the cooperation between Chinese and Indian Coal Industries alongwith related manufacturing activities. A Joint Working Group on Coal has been set up for providing a formal framework in indentifying areas of cooperation as well as to review the progress made from time to time and take steps to promote mutual cooperation.

(c) and (d) In order to promote mechanisaiton of underground coal mines in India, the Chinese side have offered to supply longwall equipment and services of Chinese technicians for erection and training on competitive basis. Chinese National Coal Mining Equipment Corporation and Jessop & Co. of India have signed an agreement for manufacturing of equipment and spares in a phased manner in India. With all these measures it is expected that coal production for underground mines will increase.

**Women managed branch of Super Bazar**

624. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the super Bazar Management propose to operate women managed branch in Connaught Place on Bangladesh Model;

(b) if so, what is the outcome of the proposal so far;

(c) what is the number of women